# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या : 224/2020 आवन्टन निरस्त**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

**बनाम**

1. छीतर पिता गोपी बलाई निवासी मधुपुरिया
2. केशर पिता गोपी बलाई निवासी मधुपुरिया
3. सीता पिता गोपी बलाई निवासी मधुपुरिया
4. छोटी पिता गोपी बलाई निवासी मधुपुरिया
5. सुड़ि बेवा गोपी रेगर निवासी मधुपुरिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम, 1970**

उपस्थित —
1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

## आदेश

दिनांक 21-10-.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मधुपुरिया पटवार हल्का सरथला की आ.न. 167/32 रकबा 1.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 16.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की मृत्यु होना अंकित किया है। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी संख्या 05 के सम्मन की तामील में विपक्षी की मृत्यु होना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डलगढ मृतक सुडी बेवा गोपी रेगर के कायम मुकाम व सजरा प्रेषित किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 14(4) प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों का पता ग्राम मधुपुरिया अंकित किया गया जबकि तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रेषित कायम मुकामान में विपक्षी छीतर का पता ग्राम मधुपुरिया , केसर पिता गोपी पति बालू रेगर का पता ग्राम अमरगढ, सीता पिता गोपी पति कैलाश रेगर का पता ग्राम बैणुन्दा पंचायत खोटाज, छोटी पिता गोपी पति ओम रेगर का पता ग्राम कजोडिया पंचायत बाजेडा अंकित किये गये है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार ने विपक्षीगणों के दो अलग अलग पता प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत कायम मुकाम के साथ विपक्षीगणों के सम्मन भी संलग्न नहीं किये हैं। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 10.10.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार माण्डलगढ ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक सुडी बेवा गोपी रेगर निवासी मधुपुरिया के विरूद्व 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरूद्व कृत्य किया है। अतः तत्कालीन तहसीलदार माण्डलगढ एवं पटवार हल्का सरथला तहसील माण्डलगढ का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर महोदय (स्थापना) एवं जिला कलक्टर महोदय (विधि) तथा तहसीलदार माण्डलगढ को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-10-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)